



			<p>कमजोर एवं अभिविधित समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>➤ निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>➤ मध्य विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p>	<p>अधीन कमजोर एवं अभिविधित समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>➤ निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>➤ प्राथमिक विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p>	<p>विद्यालयों में 25% कोटि के अधीन कमजोर एवं अभिविधित समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।</p> <p>➤ निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन करना।</p> <p>➤ प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।</p>	
2	धारा 9(ख)	धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।	<p>शिक्षा के अधिकार के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर यथाशीघ्र निर्णय लेना।</p>	<p>➤ बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार मध्य विद्यालयों की सुविधा का प्रयास करना। उच्चाधिकारी को माँग पत्र भेजना।</p> <p>➤ पड़ोस के मध्य विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना।</p>	<p>➤ बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रयास करना। उच्चाधिकारी को माँग पत्र भेजना।</p> <p>➤ पड़ोस के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना।</p>	<p>➤ बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की सुविधा का प्रयास करना। उच्चाधिकारी को माँग पत्र भेजना।</p> <p>➤ पड़ोस के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना।</p>
3	धारा 9(ग)	कमजोर वर्ग एवं अभिविधित समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।	<p>(i) कमजोर एवं अभिविधित वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) उक्त कोटि के बच्चे विद्यालय गैर-शैक्षणिक क्रियाकलापों में</p>	<p>(i) कमजोर एवं अभिविधित वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) उक्त कोटि के बच्चे विद्यालय के सभी शैक्षिक</p>	<p>(i) कमजोर एवं अभिविधित वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) उक्त कोटि के बच्चे विद्यालय के सभी शैक्षिक</p>	

		इसे सुनिश्चित करना।					
4.	धारा 9 (घ)	क्षेत्राधीन निवास करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ऐसी शैली में, जो विहित की जाए, अभिलेख संधारण करना।	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए योजना निर्माण में मदद करना।	(i) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत के सहयोग से 0-14 आयुवर्ग के बच्चों का बालपंजी तैयार कराना। (ii) समय-समय पर बालपंजी को अद्यतन करना। (iii) निःशक्त बच्चों की जानकारी अलग से संधारित करना। (iv) अनाथ एवं किसी खतरे से प्रभावित बच्चों की अलग से जानकारी रखना। (v) विस्थापित/मौसमी बच्चों की अलग से जानकारी रखना।	(i) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 0-14 आयुवर्ग के बच्चों का बालपंजी तैयार करना। (ii) समय-समय पर बालपंजी को अद्यतन करना। (iii) निःशक्त बच्चों की जानकारी अलग से संधारित करना। (iv) अनाथ एवं किसी खतरे से प्रभावित बच्चों की अलग से जानकारी रखना। (v) विस्थापित/मौसमी बच्चों की अलग से जानकारी रखना।	(i) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 0-14 आयुवर्ग के बच्चों का बालपंजी तैयार करना। (ii) समय-समय पर बालपंजी को अद्यतन करना। (iii) निःशक्त बच्चों की जानकारी अलग से संधारित करना। (iv) अनाथ एवं किसी खतरे से प्रभावित बच्चों की अलग से जानकारी रखना। (v) विस्थापित/मौसमी बच्चों की अलग से जानकारी रखना।	(i) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 0-14 आयुवर्ग के बच्चों का बालपंजी तैयार करना। (ii) समय-समय पर बालपंजी को अद्यतन करना। (iii) निःशक्त बच्चों की जानकारी अलग से संधारित करना। (iv) अनाथ एवं किसी खतरे से प्रभावित बच्चों की अलग से जानकारी रखना। (v) विस्थापित/मौसमी बच्चों की अलग से जानकारी रखना।
5.	धारा 9 (ङ)	क्षेत्राधीन निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश एवं उपस्थिति हो इसे सुनिश्चित करना तथा उसके द्वारा प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पूरी हो, इसे सुनिश्चित करना।		(i) क्षेत्राधीन विद्यालय द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से इनकार नहीं किया जाए, इसे देखना। (ii) छिड़ित (Dropout) बच्चों एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता / अभिभावक से मिलकर उन्हें बच्चों को	(i) क्षेत्राधीन विद्यालय द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से इनकार नहीं किया जाए, इसे देखना। (ii) छिड़ित (Dropout) बच्चों एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता / अभिभावक	(i) क्षेत्राधीन विद्यालय द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से इनकार नहीं किया जाए, इसे देखना। (ii) छिड़ित (Dropout) बच्चों एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता / अभिभावक	(i) क्षेत्राधीन विद्यालय द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से इनकार नहीं किया जाए, इसे देखना। (ii) छिड़ित (Dropout) बच्चों एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता / अभिभावक


6.	धारा 9 (ब)	आधारभूत सरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री भी है, उपलब्ध कराना।	आवश्यकतानुसार विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सहयोग करना।	<p>नामांकित कराने एवं नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना।</p> <p>(iii) प्रत्येक बच्चा अपने स्तर की कक्षा के अनुसार विषयों को सीख सके, इसे देखना एवं विद्यालय को इसके लिए आवश्यक सहयोग करना।</p> <p>(iv) विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय विकास की योजना में इनका समावेश करना।</p>	<p>से मिलकर उन्हें बच्चों को नामांकित कराने एवं नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना।</p> <p>(iii) प्रत्येक बच्चा अपने स्तर की कक्षा के अनुसार विषयों को सीख सके, इसे देखना एवं विद्यालय को इसके लिए आवश्यक सहयोग करना।</p> <p>(iv) विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय विकास की योजना में इनका समावेश करना।</p>	<p>से मिलकर उन्हें बच्चों को नामांकित कराने एवं नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना।</p> <p>(iii) प्रत्येक बच्चा अपने स्तर की कक्षा के अनुसार विषयों को सीख सके, इसे देखना एवं विद्यालय को इसके लिए आवश्यक सहयोग करना।</p> <p>(iv) विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय विकास की योजना में इनका समावेश करना।</p>
				<p>(i) क्षेत्राधीन मध्य विद्यालय को प्राप्त राशि से विद्यालय शिक्षा समिति समय पर विद्यालय भवन/कमरों के निर्माण के साथ-साथ अन्य भौतिक सुविधाओं को समय पर पूरा करें, इसे अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना।</p> <p>(ii) शिक्षकों की कमी होने पर उच्चाधिकारी से माँग करना। शिक्षकों को उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(iii) शिक्षक-छात्र अनुपात अनुकूल रहे, इसके लिए समय-समय पर प्रयास करना।</p>	<p>(i) क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालय को प्राप्त राशि से विद्यालय शिक्षा समिति समय पर विद्यालय भवन/कमरों के निर्माण के साथ-साथ अन्य भौतिक सुविधाओं को समय पर पूरा करें, इसे अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना।</p> <p>(ii) शिक्षकों की कमी होने पर उच्चाधिकारी से माँग करना। शिक्षकों को उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(iii) शिक्षक-छात्र अनुपात अनुकूल रहे, इसके लिए समय-समय पर प्रयास करना।</p>	<p>(i) क्षेत्राधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय को प्राप्त राशि से विद्यालय शिक्षा समिति समय पर विद्यालय भवन/कमरों के निर्माण के साथ-साथ अन्य भौतिक सुविधाओं को समय पर पूरा करें, इसे अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना।</p> <p>(ii) शिक्षकों की कमी होने पर उच्चाधिकारी से माँग करना। शिक्षकों को उपस्थिति सुनिश्चित करना।</p> <p>(iii) शिक्षक-छात्र अनुपात अनुकूल रहे, इसके लिए</p>

7.	धारा 9 (ख)	धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।		(i) विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से अनामंकित बच्चों को विद्यालय में अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन कराना। (ii) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से आते हैं। (iii) यथासंभव विशेष प्रशिक्षण केन्द्र को विद्यालय परिसर में संचालित कराना। (iv) विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग में नामांकन कराना। (v) विशेष समूह के बच्चों पर अलग से ध्यान रखना।	करना।	(i) विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से अनामंकित बच्चों को विद्यालय में अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन कराना। (ii) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से आते हैं। (iii) यथासंभव विशेष प्रशिक्षण केन्द्र को विद्यालय परिसर में संचालित कराना। (iv) विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग में नामांकन कराना। (v) विशेष समूह के बच्चों पर अलग से ध्यान रखना।	(i) विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से अनामंकित बच्चों को विद्यालय में अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन कराना। (ii) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से आते हैं। (iii) यथासंभव विशेष प्रशिक्षण केन्द्र को विद्यालय परिसर में संचालित कराना। (iv) विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग में नामांकन कराना। (v) विशेष समूह के बच्चों पर अलग से ध्यान रखना।
8.	धारा 9 (ज)	अधिनियम की अनुसूची के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना।	अनुसूची के अनुरूप विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षक आदि उपलब्ध हो सके, इसका प्रयास करना।	(i) छात्र-शिक्षक अनुपात के मद्देनजर मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों का नियमानुसार समायोजन की कार्यवाई करना। (ii) विद्यालय एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना।	(i) छात्र-शिक्षक अनुपात के मद्देनजर प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों का नियमानुसार समायोजन की कार्यवाई करना। (ii) विद्यालय एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का	(i) छात्र-शिक्षक अनुपात के मद्देनजर समायोजन की कार्यवाई करना। (ii) विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना। (iii) विस्थापित बच्चों के	

			<p>(iii) विस्थापित बच्चों के नामांकन के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर को बनाये रखने पर विशेष ध्यान देना।</p> <p>(iv) मानक के अनुसार भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्रवाई करना, उच्चाधिकारी से माँग करना।</p>	<p>(iii) विश्वापित बच्चों के नामांकन के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर को बनाये रखने पर विशेष ध्यान देना।</p> <p>(iv) मानक के अनुसार भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्रवाई करना, उच्चाधिकारी से माँग करना।</p>	<p>(iii) अनुश्रवण करना।</p> <p>(iii) विश्वापित बच्चों के नामांकन के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर को बनाये रखने पर विशेष ध्यान देना।</p> <p>(iv) मानक के अनुसार भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्रवाई करना, उच्चाधिकारी से माँग करना।</p>	<p>(iii) नामांकन के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर को बनाये रखने पर विशेष ध्यान देना।</p> <p>(iv) मानक के अनुसार भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्रवाई करना, उच्चाधिकारी से माँग करना।</p>
9.	धारा 9 (झ)	प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यवर्षा और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना।	<p>(i) वर्ष के लिए निर्धारित दिनों तक मध्य विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) प्रतिदिन निर्धारित अवधि तक विद्यालय/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन को सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं होने पर अपने स्तर पर कार्रवाई करना अथवा उच्चाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई हेतु प्रतिदिन करना।</p> <p>(iii) बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तकों/शिक्षण सामग्री वितरण सुनिश्चित करना।</p> <p>(iv) बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ विद्यालय में बैठक कर बच्चों की प्रगति पर ध्यान देना।</p>	<p>(i) वर्ष के लिए निर्धारित दिनों तक प्राथमिक विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) प्रतिदिन निर्धारित अवधि तक विद्यालय/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन को सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं होने पर अपने स्तर पर कार्रवाई करना अथवा उच्चाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई हेतु प्रतिदिन करना।</p> <p>(iii) बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तकों/शिक्षण सामग्री वितरण सुनिश्चित करना।</p> <p>(iv) बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ विद्यालय में बैठक कर</p>	<p>(i) वर्ष के लिए निर्धारित दिनों तक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना।</p> <p>(ii) प्रतिदिन निर्धारित अवधि तक विद्यालय/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन को सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं होने पर अपने स्तर पर कार्रवाई करना अथवा उच्चाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई हेतु प्रतिदिन करना।</p> <p>(iii) बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तकों/शिक्षण सामग्री वितरण सुनिश्चित करना।</p> <p>(iv) बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ विद्यालय में बैठक कर</p>	

10.	धारा 9 (अ)	शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।	जिला योजना से शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त भवनों / कमरों का निर्माण करना।	शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को प्रतिवेदित करना।	शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को प्रतिवेदित करना।	शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को प्रतिवेदित करना।
12.	धारा 9 (ट)	अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों के कार्यों का अनुश्रवण करना।	विद्यालय विकास के कार्यों का अनुश्रवण एवं सहयोग।	(i) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधीन मध्य विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए। (ii) शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। (iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास करना। (iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना। (v) विद्यालय विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय शिक्षा समिति को सहयोग करना। (vi) विद्यालय में बच्चों के सीखने के स्तर में सतत सुधार हो, इसपर ध्यान देना।	(i) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए। (ii) शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। (iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास करना। (iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना। (v) विद्यालय विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय शिक्षा समिति को सहयोग करना। (vi) विद्यालय में बच्चों के सीखने के स्तर में सतत सुधार हो, इसपर ध्यान देना।	(i) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए। (ii) शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। (iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास करना। (iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना। (v) विद्यालय विकास की योजना के निर्माण में विद्यालय शिक्षा समिति को सहयोग करना। (vi) विद्यालय में बच्चों के सीखने के स्तर में सतत सुधार हो, इसपर ध्यान देना।

				सुधार हो, इसपर ध्यान देना।	सुधार हो, इसपर ध्यान देना।
13.	धारा 9 (ड)	शैक्षणिक कैलेंडर का निश्चय करना।	स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर जिला द्वारा तैयार वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर को अनुमोदित करना।	-----	-----

  
 संयुक्त सचिव,  
 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।  
K. R. Prasad